

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के क्षेत्र डीडिहाट (ग्राम ननपापों) में हैलीपैड का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कनालीछीना

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, डीडिहाट

उपखण्ड डीडिहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के क्षेत्र डीडिहाट (ग्राम ननपापों) में हैलीपैड का निर्माण हेतु (शून्य आरक्षित वन भूमि, शून्य हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.15 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.15 हे० वन भूमि) का अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-डीडीहाट (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील डीडिहाट) की दिनांक 14/08/21 को सम्पन्न बैठ की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री क. प्र. ज. स. म. उप जिलाधिकारी डीडिहाट एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1- श्री <u>क. प्र. ज. स. म.</u> | उपजिलाधिकारी डीडिहाट | अध्यक्ष। |
| 2- श्री <u>आर. उ. र. उ. बिहट</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री <u>संजय मो. ली</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4- श्रीमती हेमन्ती देवी | क्षेत्र पंचायत सदस्य, खेतार कन्याल | सदस्य |
| 5- श्री विवेकानन्द जोशी | क्षेत्र पंचायत सदस्य, चौसाल | सदस्य |
| 6- श्री भानु प्रताप | क्षेत्र पंचायत सदस्य, सत्यालगांव | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के क्षेत्र डीडिहाट (ग्राम ननपापों) में हैलीपैड निर्माण हेतु 0.15 हे० वन पंचायत भूमि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-डीडीहाट (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डीडिहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम ननपापों (डीडीहाट) में हैलीपैड निर्माण हेतु 0.15 हे० वन पंचायत भूमि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-डीडीहाट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

भानु प्रताप
सदस्य
क्षेत्र पंचायत सत्यालगांव
वि० ख० डीडिहाट (पिथौरागढ़)

उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-कनालीछीना, जनपद -पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हेमन्ती देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
क्षेत्र पंचायत-खेतार कन्याल
वि० ख० डीडिहाट (पिथौरागढ़)

विवेकानन्द जोशी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत-चौसाल
वि० ख०-कनालीछीना (पिथौरागढ़)

उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-कनालीछीना, जनपद- पिथौरागढ़

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के क्षेत्र डीडिहाट (ग्राम ननपापों) में हैलीपैड़ का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ननपापों (डीडीहाट)
तहसील-डीडीहाट, जिला-पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के क्षेत्र डीडिहाट (ग्राम ननपापों) में हैलीपैड़ का निर्माण का परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, शून्य हे० सिविल सोयम भूमि 0.15 हे०, वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.15 हे० वन भूमि का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, देहरादून (उत्तराखण्ड) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ननपापों द्वारा दिनांक.....को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, देहरादून (उत्तराखण्ड) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन पंचायत भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया गया है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन पंचायत भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत ननपापों (डीडीहाट) के ग्रामवासियों को उक्त वन पंचायत भूमि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, देहरादून (उत्तराखण्ड) (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत का नाम ननपापों
विस्तृत क्षेत्र डीडिहाट
जिला पिथौरागढ़



दिनांक को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ननपापों (डीडीहाट)।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	भगवान राम	भगवान राम
2	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
3	प्रविन पानू	प्रविन पानू
4	तुलसी देवी	तुलसी देवी
5	चन्द्रचेली	चन्द्रचेली
6	मंजू देवी	मंजू देवी
7	गीता देवी	गीता देवी
8	दीपक गरिभा	दीपक गरिभा
9	दिवानी राम	दिवानी राम
10	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
11	दान सिंह	दान सिंह
12	गंगा सिंह	गंगा सिंह
13	प्रकाश सिंह	प्रकाश सिंह
14	धन सिंह	धन सिंह
15	लक्ष्म राम	लक्ष्म राम

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत का नाम ननपाप
विधार्थ का नाम डीडीहाट
जिला पश्चिम बंगाल



प्रपत्र 28

परियोजना का नाम: — जनपद पिथौरागढ़ के क्षेत्र डीडिहाट (ग्राम ननपापों) में हैलीपैड का निर्माण।

आम सभा एवं वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण — पत्र

शासनादेश संख्या 182/ix-3/2020-21-02(03)/2018 दिनांक 26.03.2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ननपापों में हैलीपैड के निर्माण के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, देहरादून (उत्तराखण्ड) द्वारा निर्धारित/चयनित भूमि के सम्बन्ध में आम बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि, सरपंच एवं जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त हैलीपैड निर्माण हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, देहरादून (उत्तराखण्ड) द्वारा जो भूमि चयनित की गई है उसके अनुसार हैलीपैड निर्माण करने एवं हैलीपैड निर्माण में आने वाली वन पंचायत भूमि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण, देहरादून (उत्तराखण्ड) को देने में समस्त ग्रामवासी सहमत है। इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। अतः इस भूमि के अनुसार निर्माण शीघ्र कराने का कष्ट करें।

बैठक में यह भी तय किया गया है आवेदित वन पंचायत पर आदिकालीन जनजाति समूह (primitive Tribal Group) व पूर्व कृषि समुदाय निवास नहीं करते हैं और परियोजना के निर्माण से इन वर्गों के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

स्थान:—

दिनांक:—



हस्ताक्षर
सरपंच
ग्राम पंचायत ननपापों
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Pithoragarh

No. १५

Dated- 23/05/2022

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.15 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer, Rural Works Department, Division Didihat** (name of user agency) for **Construction of Helipad at Didihat (Village Nanpapo)** (purpose for diversion of forest land) in **Pithoragarh** district falls within jurisdiction of **Nanpapo (Gram Panchayat Nanpapo)** village (s) in **Didihat** tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of Siroli villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)
पिथौरागढ़

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT-PITHORAGARH (U.K.)**

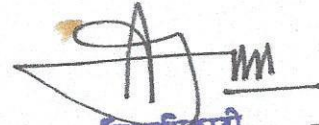
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh district**, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Ashish Chauhan (I.A.S) Deputy Commissioner of Pithoragarh on dated 23/05/2022 at time 2 P.M. at **Pithoragarh** in which application claiming rights in area measuring **0.15 hect** for the **Construction of Helipad at Didihat (Village Nanpapo)** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division level committee of **Didihat** Sub-Division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place 23/5/2022

Dated: Pithoragarh



Deputy Commissioner cum-Chairman
पिथौरागढ़
District Level Committee

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के डीडिहाट (ग्राम ननपापों) में हैलीपैड निर्माण।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

जिला स्तरीय समिति - पिथौरागढ़

उपखण्ड डीडिहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के डीडिहाट (ग्राम ननपापों) में हैलीपैड निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, शून्य हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.15 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.15 हे० वन भूमि) का अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-डीडीहाट के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (जिला-पिथौरागढ़) की दिनांक 23/5/22 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री आशीष चौहान, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री आशीष चौहान	जिलाधिकारी पिथौरागढ़	अध्यक्ष।
2-	श्री डा० रामेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़	सदस्य
3-	श्रीमती रमा गोस्वामी	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़	सदस्य/सचिव
4-	श्रीमती गंगोत्री दताल	जिला पंचायत सदस्य भेतली 05	सदस्य
5-	श्री सुरेश जेटा	जिला पंचायत सदस्य खेला 02	सदस्य
6-	श्रीमती पुष्पा देवी	जिला पंचायत सदस्य मानवी	सदस्य

सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के डीडिहाट (ग्राम ननपापों) में हैलीपैड निर्माण हेतु 0.15 हे० वन पंचायत भूमि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-डीडीहाट (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा एवं वन पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सदस्य जिला पंचायत
खेला 02
जिला-पिथौरागढ़
सदस्य जिला पंचायत

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पिथौरागढ़
सदस्य

जिला स्तरीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़
अध्यक्ष

सदस्य
पुष्पा देवी
जिला पंचायत सदस्य
09-मानवी, पिथौरागढ़
उपखण्ड

श्रीमती गंगोत्री दताल
सदस्य जिला पंचायत
भेतली (पिथौरागढ़)